तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-6-24	वकील प्रार्थी उप। तहसीलदार बूंदी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस रिपोर्ट हेतु दि. 19-7-24 को पेश हो। [illegible]	
19-7-24	वकुलाय न्य०। पत्रावली वास्ते बहस TDR बूंदी रिपोर्ट हेतु दि. 07-08-24 को पेश हो। [illegible]	
07-08-24	[illegible]ावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान [illegible] अधिकारी राज्य कार्यवश बाह दौरे मे तशरीफ [illegible] है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषकगण [illegible] पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक....18-9-24. ....को पेश हो। [illegible]	
18-9-24	वकुलाय उप। पत्रावली वास्ते बहस तहसीलदार बूंदी रिपोर्ट हेतु दि. 17-10-24 को पेश हो। [illegible]	
17/10/24	वकुलाय उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 18/10/24 को पेश हो। [illegible]	
18/10/24	वकुलाय उप०। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 21/10/24 को पेश हो। [illegible]	
21/10/24	वकुलाय न्य०। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुआ। निर्णय पृथक से [illegible] सुनाया गया, आ०मि० [illegible] शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

नि0नं0	तारीख दायरा	निर्णय दिनांक	पीठासीन अधिकारी
65/प्रा0प0/2023	02.08.2024	21.10.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

किशनलाल उर्फ लालू आत्मज श्री बलदेव जाति दरोगा पासवान निवासी ग्राम चापरस तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136
भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री नवेद केसर लखपति।
पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की कृषि भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 170 पुरानी 88 की आराजी खसरा संख्या 488/405 रकबा 0.2690 है0 किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 493/332 रकबा 0.0540 है0 किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 496/375 रकबा 0.0308 है0 किस्म नहरी द्वितीय कुल किता 03 कुल रकबा 0.3538 है0 वाके ग्राम चापरस तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर टिनेन्स की हैसियत से खेती का कार्य करता चला आ रहा हैं तथा उक्त खाते की कृषि भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी का नाम लाल पुत्र बलदेव अंकित हैं। प्रार्थी के उक्त खाते की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में पूर्व में भी प्रार्थी का नाम किशनलाल उर्फ लालू आत्मज बलदेव चला आ रहा था तथा जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 में प्रार्थी का नाम किशनलाल उर्फ लालू आत्मज बलदेव खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। दिनांक 15.09.2015 को प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के बीच में पारिवारिक बंटवारा किया गया उस पत्र में भी प्रार्थी का नाम किशनलाल उर्फ लालू आत्मज बलदेव दर्ज हैं तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को उसके पिता से बंटवारे में प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी को किशनलाल उर्फ लालू दोनो ही नामों से जाना—पहचाना—पूकारा जाता हैं। दोनो ही नाम प्रार्थी के ही हैं। किन्तु वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र बलदेव दर्ज हो जाने से प्रार्थी को काश्तकारी कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में किशनलाल उर्फ लालू किये जाने की कृपा करें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संबंध में रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/72 दिनांक 04.01.2024 से अवगत कराया कि [illegible] चापरस के खाता संख्या 170 में खसरा नंबर 488/408, 493/332, 496/375 कुल किता 3 [illegible] रकबा 0.3538 है0 भूमि लाल पुत्र बल्देव कौम पासवान खातेदार दर्ज हैं। पुराने खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 121, 288/131, 332/119, 408/186 किता 4 रकबा 1.9072 है0 भूमि में किशनलाल उर्फ लालू पुत्र बल्देव हिस्सा 1/6 था। जिसका विभाजन होने पर विभाजन आदेश में किशनलाल उर्फ लालू पुत्र बल्देव पासवान दर्ज था। जिसका नामान्तकरण संख्या 600 दिनांक 26.10.2020 में विभाजन में लाला पुत्र बल्देव पासवान दर्ज हो गया हैं। तहसीलदार, बून्दी अपनी रिपोर्ट के साथ जमाबंदी खाता संख्या 170 ग्राम चापरस सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:11 IST
Reason: SelfAttested

2070–2073, खाता संख्या 90 ग्राम चापरस सम्वत् 2070–73, नामान्तकरण संख्या 600/23.10.2020 की प्रति, विभाजन आदेश क्रमांक 9475/भू0अ0/20 की प्रति संलग्न प्रेषित की हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थी को किशनलाल एवं लालू दोनो ही नामो से जाना, पहचाना, पूकारा जाता हैं। पूर्व में राजस्व रैकार्ड में भी प्रार्थी के दोनो ही नाम अंकित थें, किन्तु वर्तमान जमाबंदी में बंटवारे के बाद प्रार्थी का नाम लाला अंकित कर दिया हैं, जिससे प्रार्थी को काश्तकारी कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में लाला पुत्र बलदेव के स्थान पर किशनलाल उर्फ लालू आत्मज बलदेव दर्ज करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070–73 ग्राम चापरस खाता संख्या 170 पुराना 88 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र बलदेव हिस्सा पूर्ण जाति पासवान सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं, जबकि बंटवारे से पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 90 पुराना में प्रार्थी का नाम किशनलाल उर्फ लालू पिता बल्देव कौम दरोगा पासवान सा0 देह अंकित हैं। तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रस्तुत विभाजन आदेश की प्रति में भी प्रार्थी का किशनलाल उर्फ लालू ही अंकित हैं किन्तु विभाजन के नामान्तकरण संख्या 600 दिनांक 23.10.2020 में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र बलदेव अंकित हो गया। उक्त नामान्तकरण स्वीकार होने के फलस्वरूप वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लाला पुत्र बलदेव दर्ज हो गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि लिपिकीय त्रूटिवश प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में किशनलाल उर्फ लालू पुत्र बल्देव के स्थान पर लाला पुत्र बलदेव अंकित हो गया हैं। जिसे पूर्वानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता हैं और ग्राम चापरस तहसील व जिला बून्दी राजस्थान की आराजी खाता संख्या 170 पुराना 88 खसरा संख्या 488/405 रकबा 0.2690 है0 किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 493/332 रकबा 0.0540 है0 किस्म नहरी द्वितीय, खसरा संख्या 496/375 रकबा 0.0308 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3538 है0 के राजस्व रेकार्ड में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी "लाला पुत्र बलदेव" के स्थान "किशनलाल उर्फ लालू पुत्र बलदेव" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय ... गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:11 IST
Reason: SelfAttested

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी